दी चूरू सैण्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., चूरू

प्रधान कार्यालयः चूरू

धर्म स्तूप के पास, बिसाउ रोड़, चूरू – 331001 (राज.)

"अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" अनुपालना हेतु समस्त सम्मानित ग्राहकों को आवश्यक सूचना व अनुरोध

बैंक द्वारा समस्त सम्मानित ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा KYC (अपने ग्राहक को जानिए) मापदण्ड के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में समस्त खाताधारकों को KYC मापदण्डों की पालना किया जाना आवश्यक है। अतः बैंक के समस्त ग्राहकों से अनुरोध है कि अपने खाते को KYC मापदण्डों के अनुरूप संधारित करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण (आधिकारिक रूप से वैद्य दस्तावेज – पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचना पत्र, नरेगा जॉबकार्ड आदि – उपरोक्त दस्तावेज में यदि पता उल्लेखित हो तो कोई भी एक दस्तावेज पहचान व पते दोनों के लिए पर्याप्त है) एवं अपना नवीनतम फोटो व मोबाइल नम्बर अपनी बैंक शाखा में आवश्यक रूप से दिनांक 30.11.2021 तक जमा करवाएं। उक्त दिनांक के बाद वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में बैंक द्वारा आपके खाते का परिचालन बंद किया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार की जानकारी बैंक प्रधान कार्यालय/संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

The Churu Central Cooperative Bank Ltd.
HO
CHURU

Scanned with CamScanner